सोसायटी के सदस्य थे और इसलिए, वे अयोग्यता के अधीन थे जिसने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया।लेकिन सोसायटी की समिति के सदस्य के रूप में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ने के बाद और उसके बाद इसके अध्यक्ष के रूप में, भले ही वे अयोग्य थे, उनके चुनाव को अधिनियम की धारा 55 के तहत चुनाव विवाद उठाकर चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन उनकी सदस्यता को नियमों के नियम 26 के खंड (जी) के तहत बंद नहीं किया जा सकता था।इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि नियम 26 का खंड (च) उस मामले में लागू नहीं होता है जहां कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होने के बावजूद अभी तक समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है, जब उसने चुनाव के बाद अयोग्यता नहीं ली है।मामले के इस दृष्टिकोण में, 29 सितंबर, 1997 के विवादित आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता समाज का अध्यक्ष नहीं रह गया था, जिसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

(6) परिणामस्वरूप, 29 सितंबर, 1997 के रिट; याचिका को मंजूरी दी जाती है और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

***आरएनआर***

माननीय *एन. के. सोधी और एन. के. सूद,* के समक्ष

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज-याचिकाकर्ता *इसके* निदेशक और एक अन्य
के माध्यम से

*बनाम*

अतार सिंह और अन्य,-उत्तरदाता

*1999* का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 15686

5नवंबर, 1999

*भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद* 226-औद्योगिक *विवाद अधिनियम, 1947-एस. 2 (जे)* और *25-एफ-याचिकाकर्ता और हरियाणा राज्य ने बल्लभगढ़ में एक संयुक्त उद्यम शुरू किया-याचिकाकर्ता ने दैनिक मजदूरी पर कर्मचारी की नियुक्ति की और उसे बल्लभगढ़ में तैनात किया-हरियाणा सरकार की धारा 25-एफ के प्रावधानों का पालन किए बिना 8 साल की निरंतर सेवा के बाद कर्मचारी की समाप्ति-श्रम अदालत ने बर्खास्तगी को गलत और कानून के विपरीत पाया और कर्मचारी की बहाली का निर्देश दिया-इसे चुनौती-केवल यह तथ्य कि परियोजना एक संयुक्त उद्यम थी, हरियाणा सरकार को संदर्भ के लिए एक आवश्यक पक्ष नहीं बना दिया-हरियाणा राज्य में अधिनियम का कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए राज्य सरकार संदर्भ बनाने के लिए उपयुक्त सरकार थी-कर्मचारी ने 240 दिनों से अधिक* समय *पूरा किया*

*याचिकाकर्ता की याचिका कि एम्स एक 'उद्योग' नहीं है, खारिज कर दी गई-रिट खारिज कर दी गई।*

*यह* माना गया कि कर्मचारी को याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त किया गया था और केवल यह तथ्य कि व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा (सी. आर. एच. एस.) योजना एक संयुक्त उद्यम थी, हरियाणा सरकार को संदर्भ के लिए एक आवश्यक पक्ष नहीं बनाती है।इसलिए, हमें याचिकाकर्ता के इस तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि हरियाणा सरकार

एक आवश्यक पक्ष थी और चूंकि इसे संदर्भ में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए यह अवैध था और एक आवश्यक पक्ष के गैर-प्रतिवादी के आधार पर खारिज किया जा सकता था।

(पैरा 5)

*उन्होंने आगे* कहा कि याचिकाकर्ता निस्संदेह एक सांविधिक निकाय है जो दिल्ली में काम कर रहा है।इसने बल्लभगढ़ में हरियाणा राज्य के साथ एक परियोजना शुरू की है जहाँ कर्मचारी कार्यरत था।यह देखना होगा कि कार्रवाई का कारण क्या था।चूँकि कर्मचारी बल्लभगढ़ में काम कर रहा था और उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कार्रवाई का कारण हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ में उत्पन्न हुआ और इसलिए, केवल राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार थी।यह तथ्य कि याचिकाकर्ता दिल्ली में एक सांविधिक निकाय है, इसका कोई महत्व नहीं है।इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि हरियाणा राज्य उपयुक्त सरकार थी जो वैध रूप से संदर्भ दे सकती थी।

(पैरा 6)

*इसके अलावा,* यह प्रश्न कि क्या याचिकाकर्ता एक उद्योग है या नहीं, इस संबंध में किसी भी साक्ष्य द्वारा उसके द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति पर निर्भर करता है, श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।दूसरी ओर, श्रम न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता एक उद्योग है और इसलिए, यह विद्वान वकील के लिए पहली बार हमारे सामने इसके विपरीत तर्क देने के लिए खुला नहीं है।

(पैरा 7)

*इसके अलावा,* यह तथ्य कि श्रमिक 7 अगस्त, 1986 को कार्यरत था और उसने 31 जुलाई, 1994 तक लगातार काम किया था, श्रम न्यायालय के समक्ष भी विवादित नहीं था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रमिक को केवल अल्पावधि की अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था।उन्होंने 240 दिनों से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी और इसलिए, उनकी सेवाओं को समाप्त करने से पहले, याचिकाकर्ता पर अधिनियम की धारा 25-एफ के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य था। कर्मचारी को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही अधिनियम की धारा 25-एफ के संदर्भ में कोई मुआवजा दिया गया। इस दृष्टि से

मामले में, श्रम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि समाप्ति गलत और अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थी।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील मंजू द्विवेदी *के साथ वकील मुकुल गुप्ता*

*निर्णय*

*न्यायमूर्ति एन. के. सोधी,*

(1) यह आदेश 1999 की तीन रिट याचिकाओं संख्या 15686,15687 और 15692 का निपटारा करेगा, जो पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, फरीदाबाद द्वारा पारित समान

पुरस्कारों के खिलाफ निर्देशित हैं।इन याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले कानून और तथ्य के प्रश्न समान हैं और इसलिए, इन्हें एक सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।तथ्यों को 1999 की सिविल रिट याचिका संख्या 15686 से लिया जा रहा है जिसमें तर्कों को संबोधित किया गया था।

(2) प्रत्यर्थी संख्या 1 (जिसे इसके बाद कर्मचारी कहा जाता है) को 7 अगस्त, 1986 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा दैनिक मजदूरी पर सफाईकर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था और हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ में राज्य सरकार द्वारा संचालित सिविल अस्पताल में तैनात किया गया था।कर्मचारी द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि जब उसने एक नियमित कर्मचारी के बराबर वेतन की मांग की, तो याचिकाकर्ता ने बिना कोई नोटिस, आरोप पत्र या मुआवजा दिए अपनी सेवाओं को समाप्त कर दिया।यह भी आरोप लगाया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 25-एफ के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।इस समाप्ति ने एक औद्योगिक विवाद को जन्म दिया जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्णय के लिए पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को भेजा गया था।संदर्भ की सूचना मिलने पर, कर्मचारी ने अपना दावा बयान दायर किया और याचिकाकर्ता ने अपना लिखित बयान दायर किया।याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि संदर्भ कानूनी रूप से गलत था क्योंकि यह उपयुक्त सरकार द्वारा नहीं किया गया था और हरियाणा राज्य एक आवश्यक पक्ष था और चूंकि इसे शामिल नहीं किया गया था, इसलिए संदर्भ को खारिज किया जा सकता था।यह भी दलील दी गई कि बल्लभगढ़ में परियोजना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और हरियाणा राज्य का एक संयुक्त उद्यम था और याचिकाकर्ता द्वारा की गई गतिविधि एक उद्योग नहीं थी जो एक कल्याणकारी सेवा परियोजना थी।गुण-दोष के आधार पर यह दलील दी गई थी कि कर्मचारी एक अस्थायी कर्मचारी है और उसकी सेवाओं को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।एक अतिरिक्त याचिका इस आशय से दायर की गई थी कि कर्मचारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का कर्मचारी था, लेकिन बाद वाले को संदर्भ में पक्षकार नहीं बनाया गया था।

पक्षों की दलीलों ने निम्नलिखित मुद्दों को जन्म दिया जिन्हें 18 सितंबर, 1995 को तैयार किया गया थाः

1. क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कार्यवाही के लिए एक आवश्यक पक्ष है और इस तरह का मामला आवश्यक पक्ष के गैर-प्रतिवादी के लिए बुरा है?
2. क्या संदर्भ उपयुक्त सरकार द्वारा नहीं दिया गया है और यदि ऐसा है, तो इसका प्रभाव क्या है?
3. क्या प्रत्यर्थी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (जे) के तहत परिभाषित उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है और यदि ऐसा है, तो इसका प्रभाव क्या है?
4. संदर्भ के अनुसार।

(3) पक्षों के नेतृत्व में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने पर, श्रम न्यायालय ने कर्मचारी के पक्ष में और याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी मुद्दों का फैसला किया और इसके परिणामस्वरूप पुरस्कार पूर्व के पक्ष में दिया गया और उसे बहाली का हकदार ठहराया गया।उन्हें उनके पिछले वेतन का 30 प्रतिशत दिया गया था।इसलिए यह रिट याचिका।

(4) याचिकाकर्ताओं के वकील को सुना गया है और हमारा विचार है कि रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है।

(5) हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का पहला तर्क यह है कि हरियाणा सरकार आवश्यक पक्षकार थी और चूंकि इसे संदर्भ में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए यह अवैध था और एक आवश्यक पक्ष के गैर-पक्षकार के आधार पर खारिज किया जा सकता है।यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता और हरियाणा राज्य ने दिल्ली से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा (सी. आर. एच. एस.) नामक एक संयुक्त उद्यम शुरू किया और इस उद्देश्य के साथ याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिष्ठित डॉक्टर प्रदान किए गए थे और इसने बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में अन्य कर्मचारियों को भी नियुक्त किया, जहां कर्मचारी तैनात था।वास्तव में तर्क यह है कि चूंकि यह उद्यम संयुक्त था, इसलिए हरियाणा सरकार को भी इस संदर्भ में शामिल किया जाना चाहिए था।तर्क पर केवल अस्वीकार करने के लिए ध्यान दिया जा रहा है।मान लीजिए कि कर्मचारी को याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त किया गया था और केवल यह तथ्य कि सी. आर. एच. एस. योजना एक संयुक्त दृष्टिकोण था, हमारी राय में, हरियाणा सरकार को संदर्भ के लिए एक आवश्यक पक्ष नहीं बनाता है।इसलिए, हमें इस तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

(6) तब यह तर्क दिया गया कि उपयुक्त सरकार हरियाणा राज्य नहीं थी और याचिकाकर्ता एक वैधानिक निकाय होने के नाते दिल्ली में भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और इसलिए, केंद्र सरकार को संदर्भ देना चाहिए था।यह तर्क दिया जाता है कि कर्मचारी याचिकाकर्ता का एक कर्मचारी है जिसका

नियुक्ति दिल्ली में की गई थी और वहाँ से उनका काम नियंत्रित किया जा रहा था और इसलिए, केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार थी।यह तर्क समान रूप से योग्यता से रहित है।याचिकाकर्ता निस्संदेह एक सांविधिक निकाय है जो दिल्ली में काम कर रहा है।इसने बल्लभगढ़ में हरियाणा राज्य के साथ एक परियोजना शुरू की है जहाँ कर्मचारी कार्यरत था।यह देखना होगा कि कार्रवाई का कारण क्या था।चूँकि मजदूर बल्लभगढ़ में काम कर रहा था और उसकी सेवाओं को वहाँ से समाप्त कर दिया गया था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कार्रवाई का कारण हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ में उत्पन्न हुआ और इसलिए, केवल राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार थी।यह तथ्य कि याचिकाकर्ता दिल्ली में एक सांविधिक निकाय है, इसका कोई महत्व नहीं है।इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि हरियाणा राज्य उपयुक्त सरकार थी जो वैध रूप से संदर्भ दे सकती थी।

(7) विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि याचिकाकर्ता अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होने के नाते अधिनियम की धारा 2 के खंड (जे) के अर्थ के भीतर एक उद्योग नहीं है और इसलिए, कार्यवाही शुरू से ही अमान्य थी।तर्क *यह है* कि याचिकाकर्ता लोक कल्याण गतिविधियों को चलाता है और इसलिए, उद्योग के दायरे से बाहर है।इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।यह प्रश्न कि याचिकाकर्ता एक उद्योग है या नहीं, उसके द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति पर निर्भर करता है और इस संबंध में श्रम न्यायालय के समक्ष कोई सबूत नहीं दिया गया है।दूसरी ओर, श्रम न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता एक उद्योग है और इसलिए, यह विद्वान वकील के लिए पहली बार हमारे सामने इसके विपरीत तर्क देने के लिए खुला नहीं है।

(8) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का एक अन्य तर्क यह है कि कर्मचारी एक दैनिक मजदूर था और इसलिए, अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधान लागू नहीं थे।उन्होंने इस संबंध में हिमांशु कुमार विद्यार्थी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1) मामले में सर्वोच्च *न्यायालय के एक फैसले पर* भरोसा *किया है।हमारे विचार में, यह* विवाद भी विफल होना चाहिए।हम हिमांशु कुमार विद्यार्थी के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देख चुके हैं।उस *मामले में याचिकाकर्ताओं* को *एक* सहकारी प्रशिक्षण संस्थान में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया था।प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्तियां वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती थीं और चूंकि उसमें याचिकाकर्ताओं को नियमों के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था और वे काम की आवश्यकता के आधार पर लगे हुए थे, इसलिए उनके अधिपतियों द्वारा यह देखा गया कि उनकी समाप्ति अधिनियम के अर्थ के भीतर छंटनी के बराबर नहीं थी। हमारे समक्ष मामले में, यह सुझाव नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें किसी भी वैधानिक नियमों द्वारा शासित थीं।इसके अलावा तथ्य यह है कि

(1) जे. टी 1997 (4) एस. सी. 560

यह कि श्रमिक 7 अगस्त, 1986 को नियोजित था और उसने 31 जुलाई, 1994 तक लगातार काम किया था, श्रम न्यायालय के समक्ष भी विवादित नहीं था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रमिक को केवल अल्पावधि की अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था।उन्होंने 240 दिनों से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी और इसलिए, उनकी सेवाओं को समाप्त करने से पहले याचिकाकर्ता पर अधिनियम की धारा 25-एफ के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य था। यह पक्षों के बीच सामान्य आधार है कि कर्मचारी को न तो कोई नोटिस दिया गया था और न ही अधिनियम की धारा 25-एफ के संदर्भ में कोई मुआवजा दिया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, श्रम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि समाप्ति गलत और अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थी।

(9) अंत में, यह आग्रह किया गया कि श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं और इसलिए, विवादित पुरस्कार को दरकिनार किया जाना चाहिए।हमने चुनौती के तहत पुरस्कार का अध्ययन किया है और श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं पाई है।निचली अदालत के समक्ष यह स्वीकार करने के बाद कि याचिकाकर्ता एक उद्योग था, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस संबंध में श्रम न्यायालय का निष्कर्ष किसी भी तरह से विकृत है।श्रमिक द्वारा 240 दिनों से अधिक की सेवा पूरी करने के संबंध में अन्य निष्कर्ष को हमारे सामने भी चुनौती नहीं दी गई है।इसलिए यह तर्क भी बिना किसी आधार के है।

(10) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया।

(11) परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और वही स्थिति खारिज हो जाती है।

***आरएनआर***

***अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक***

***उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।***

***दीपांशु सरकार***
***प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी***

***(Trainee Judicial Officer)***

*इससे पहले वी. एस. अग्रवाल, जे.*

डॉ. जे. एस. सोधी और *अन्य-याचिकाकर्ता*

*बनाम*

मेला राम,-उत्तरदाता

*1999* का सी. आर. सं. 2745

11जनवरी, 2000

*पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949- धारा* 13-संपत्ति *के* मूल्य *और उपयोगिता को भौतिक रूप से बाधित करता है-क्या प्रत्येक परिवर्तन भौतिक रूप से परिसर के मूल्य को बाधित करता है।*

*माना* जाता है कि संपत्ति में प्रत्येक परिवर्तन भौतिक रूप से परिसर की उपयोगिता को प्रभावित नहीं करता है।का मूल्य और उपयोगिता